UPBH010049692022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम), बहराइच।
उपस्थित- वरुण मोहित निगम, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
{J. O. Code No.- UP-1551}

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 2530/12A/2022</u>

दिनेश बाजपेई उम्र 25 वर्ष पुत्र माधवराम, निवासी- ग्राम बड़ी बोझिया, थाना मुर्तिहा, जनपद- बहराइच।

-------- आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जनपद बहराइच।

---------विपक्षी/अभियोगी।

अपराध संख्या- 259/2022
धारा- 354, 504, 506 भा०द०सं० व 7/8 पॉक्सो ऐक्ट
थाना- कोतवाली मुर्तिहा, जनपद- बहराइच।

<u>जमानत आदेश</u>

<u>18.10.2022</u>

आवेदक/अभियुक्त दिनेश बाजपेई पुत्र माधवराम द्वारा मुकदमा अपराध सं०- 259/2022, अन्तर्गत धारा- 354, 504, 506 भा०द०सं० व 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, थाना कोतवाली मुर्तिहा, जनपद बहराइच के प्रकरण में जमानत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पैरोकार मुकदमा शिव कुमार प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228क में उल्लिखित उपबन्धों एवं **ओमप्रकाश बनाम उ०प्र० राज्य 2006(4) सुप्रीम 313** एवं **प्रेमिया बनाम राजस्थान राज्य 2008 (63) एस०सी०सी० 94 सुप्रीम कोर्ट** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं करना है। अतः उसे, "पीड़िता" नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र मय संलग्न शपथ पत्र में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमे में दिनांक 03.10.2022 से जिला कारागार बहराइच में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम है तथा कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में अभियोजन कथानक का वर्णन करते हुये यह जमानत आधार लिये गये कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे

दुर्भावना एवं शत्रुतावश उपरोक्त मुकदमे में फर्जी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अभियोजन कथानक असत्य, निराधार एवं फर्जी बनावटी है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध रास्ते को लेकर हुये विवाद की रंजिश के कारण मात्र हैरान व परेशान करने की नीयत से फर्जी व झूठा मुकदमा लिखाया गया है। अतः उसे उचित जमानत व मुचलके पर रिहा कर दिये जाने की याचना की गई है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो ऐक्ट) द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुये उक्त जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो ऐक्ट) के तर्को को सुना एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन प्राथमिकी के अनुसार दिनाँक 03.09.2022 को समय 08:00 बजे कारित घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचिका बीना शुक्ला पत्नी अवधेश शुक्ला द्वारा पुलिस अधीक्षक बहराइच के समक्ष दिये गये प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार थाना कोतवाली मुर्तिहा जनपद बहराइच में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.09.2022 को समय 13:01 बजे लगभग 06 दिन विलम्ब से धारा- 354, 506 भा०द०सं० व 7/8 पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत विपक्षीगण दिनेश (आवेदक/अभियुक्त) एवं अनन्तू के विरुद्ध पंजीकृत की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा उपरोक्त मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 का अपराध बखूबी साबित पाते हुये उक्त धारा की वृद्धि की गयी है। अभियोजन कथानक के अनुसार, प्रथम सूचिका की नाबालिग पुत्री (पीड़िता) उम्र 13 वर्ष जे० डी० इण्टर कॉलेज में कक्षा-9 की छात्रा है जो साईकिल से स्कूल आती-जाती है। उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त कई बार स्कूल जाते समय अभद्र शब्दों का प्रयोग कर हाथ पकड़कर छेड़खानी करता रहा है। प्रथम सूचिका की पुत्री ने घर आकर बताया कि उक्त आवेदक/अभियुक्त दिनेश भद्दी-भद्दी शब्दों का प्रयोग कर हाथ पकड़कर खींचता है, छेड़खानी करता है। प्रथम सूचिका लोकलाज सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से पीड़िता को समझाकर स्कूल भेज देती। उक्त आवेदक/अभियुक्त का मनोबल बढ़ा हुआ था, रोज की भांति दिनाँक 03.09.2022 को समय करीब 08:00 बजे जब उसकी नाबालिग पुत्री साईकिल से विद्यालय जा रही थी कि ज्यों ही गांव के बाहर निकली, तभी उक्त आवेदक/अभियुक्त ने उसकी पुत्री का हाथ पकड़कर खींच लिया और अश्लील बातों का प्रयोग करते हुए गाल दबाते हुए लिपट गया और धमकी दिया कि कोई शिकायत करोगी तो उसे दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा जिसकी जानकारी होने पर प्रथम सूचिका ने इस बात की शिकायत उक्त आवेदक/अभियुक्त के घर किया तो उक्त आवेदक/अभियुक्त दिनेश बाजपेई और अनन्तू दुकान पर जाकर प्रथम सूचिका के पति को तमाम धमकी दिये कि अपनी लड़की (नाबालिग) की जिन्दगी और इज्जत चाहते हो तो कहीं शिकायत और मुकदमा न करना। प्रथम सूचिका और उसका पूरा परिवार विपक्षीगण के डर एवं कृत्य से काफी डरे एवं सहमे हुये हैं। थाने पर सूचना दी, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई जबकि प्रथम सूचिका की पुत्री (पीड़िता) की पढ़ाई बाधित है। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराकर आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।

आवेदक/अभियुक्त पर प्रथम सूचिका की नाबालिग लड़की (पीड़िता) के साथ छेड़खानी करते हुये उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करते हुये लैंगिक हमला किये जाने एवं गाली-गुप्ता देते हुये भयाक्रान्त करने हेतु जान से मारने की धमकी दिये जाने के आरोप हैं।

केस डायरी में संलग्न पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं०

में स्वयं की उम्र 13 वर्ष बताते हुये कक्षा-9 की छात्रा होना तथा उसके ही गांव के दिनेश बाजपेई (आवेदक/अभियुक्त) द्वारा आयेदिन स्कूल आते-जाते हुये उसकी साईकिल रोककर उसका हाथ पकड़ना और भद्दी-भद्दी बातें करना एवं पीड़िता द्वारा घर बताने की बात कहने पर उसे कहीं मुँह दिखाने के लायक न छोड़ने की धमकी देना, फिर भी पीड़िता द्वारा घर पहुँचकर अपने माता-पिता को उक्त घटना के बारे में बताना, जब उसके पापा द्वारा उक्त आवेदक/अभियुक्त के घर जाकर शिकायत करने पर उक्त आवेदक/अभियुक्त और उसके बड़े भाई अनन्तू बाजपेई द्वारा उसकी दुकान पर आकर उसके पापा को मारना-पीटना कहा गया है तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० में स्वयं व अपने पिता का नाम बताते हुये अपनी उम्र 13 वर्ष होना एवं कक्षा-9 में पढ़ना तथा उसके गांव के लड़के दिनेश बाजपेई (आवेदक/अभियुक्त) द्वारा प्रतिदिन स्कूल आते-जाते रास्ते में उसे परेशान करना तथा घटना वाले दिन सारी बात अपने पापा को बताना, तब उसके पापा द्वारा उक्त आवेदक/अभियुक्त के घर जाकर शिकायत करना, उसके बाद आवेदक/अभियुक्त दिनेश बाजपेई एवं उसके बड़े भाई अनन्तू बाजपेई द्वारा उसके पापा को दुकान पर जाकर मारना-पीटना और गाली-गलौज करना तथा उक्त घटना सुबह 10-11 बजे के बीच की होना एवं ज्यादा परेशान होने पर उक्त घटना की शिकायत अपने पापा से करना कहा गया है। पीड़िता के उपरोक्त बयानों में आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसके साथ किसी प्रकार का लैंगिक हमला अथवा प्रवेशन लैंगिक हमला किये जाने का कथन नहीं किया गया है। पीड़िता की उम्र के सम्बन्ध में पत्रावली में संलग्न उसके शैक्षणिक अभिलेख प्रगति प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 08.07.2009 अंकित है, जिसके अनुसार घटना की तिथि पर पीड़िता की उम्र 13 वर्ष 01 माह 25 दिन आती है। आवेदक/अभियुक्त दिनाँक 03.10.2022 से जेल में निरुद्ध है। तथाकथित मामले की पीड़िता द्वारा दौरान विवेचना अपनी मर्जी से स्वयं का आन्तरिक एवं बाह्य चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने से इंकार करने एवं उस पर किसी का कोई जोर दबाव न होने का पृष्ठांकन किया गया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त हैं एवं तदैव जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त दिनेश बाजपेई पुत्र माधवराम द्वारा मुकदमा अपराध सं०- 259/2022, अन्तर्गत धारा- 354, 504, 506 भा०द०सं० व धारा- 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, थाना कोतवाली मुर्तिहा, जनपद बहराइच के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त के द्वारा मु० 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतें दाखिल करने पर तथा निम्न शर्तों की अण्डर टेकिंग दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती है:-

1- आवेदक/अभियुक्त इस केस में नियत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित रहेगा।

2- आवेदक/अभियुक्त न तो अभियोजन के गवाहान को डरायेगा व धमकायेगा, न ही अभियोजन साक्ष्य को किसी भी प्रकार से प्रभावित करेगा।

3- आवेदक/अभियुक्त स्वयं का निवास स्थान एवं उनके जमानतियों के निवास स्थान में परिवर्तन होने पर उक्त परिवर्तन की सूचना तुरन्त न्यायालय को उपलब्ध करायेगा।

4- आवेदक/अभियुक्त इस मामले में जब न्यायालय में अभियोजन के गवाहान साक्ष्य हेतु उपस्थित होगा, तब किसी किस्म की व किसी आधार पर कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र नहीं देगा।

5- आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय में अपने केस के शीघ्र निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय का पूरा सहयोग करेगा और न्यायालय की कार्यवाही में किसी किस्म का कोई अवरोध/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा और न ही उसको दी गयी जमानत का किसी भी तरीके से दुरूपयोग करेगा।

6- आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार से पीड़िता के सम्पर्क में नहीं आयेगा तथा पीड़िता को आवेदक/अभियुक्त की जमानत की सूचना नियमानुसार दी जाये।

(वरुण मोहित निगम)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम)
बहराइच।

दिनाँकः 18.10.2022